ईसागढ़ थाना प्रभारी के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन

नाबालिग के लापता होने, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए बाल्मीक समाज ने सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। ग्राम जोलन खिरिया में एक नाबालिग लड़की के लापता होने और इस मामले में पुलिस की कथित निष्क्रियता को लेकर बाल्मीक समाज और दीनाभाना संगठन में भारी रोष है। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज परिजनों और संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर करीब दो घंटे तक प्रदर्शन किया और ईसागढ़ थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद एसडीओपी अशोकनगर विवेक शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया।

इस दौरान परिजनों का आरोप है कि 1 जून को नाबालिग लड़की अपने घर से लापता हो गई थी।

जब वे शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे, तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वे पुलिस अधीक्षक के पास भी गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन वहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद समाज और संगठन के लोगों ने एकत्रित होकर एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए आरोपी लड़कों के खिलाफ कार्यवाहीं किए जाने की मांग की गई। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

मौके पर पहुंचे एसडीओपी, थाना प्रभारी ने दी सफाईः

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसडीओपी विवेक शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की बात सुनी और लोगों के सामने ही फोन पर ईसागढ़ थाना प्रभारी से घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली। इस मामले में थाना प्रभारी मीना रघुवंशी ने बताया कि नाबालिग लड़की अपने परिजनों के साथ रहने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है और आगे की विवेचना जारी है।

ईसागढ़ थाना प्रभारी मीना रघुवंशी पर लगाए गंभीर आरोपः

प्रदर्शन कर रहे समाज एवं संगठन के लोगों ने ईसागढ़ थाना प्रभारी गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उनके द्वारा बताया कि लड़की के लापता होने के बाद भी समय पर गुमशुदगी दर्ज नहीं की गई। वहीं जब लड़की मिल गई, तो नियमानुसार उसका मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने ईसागढ़ थाना प्रभारी राजनैतिक दबाव में काम करने और अपनी कार्यप्रणाली में लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए गए हैं।

अनुभवी शिक्षकों से पात्रता परीक्षा लेना प्राकृतिक न्याय के विपरीत : शिक्षक कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस द्वारा वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों की पात्रता परीक्षा न लिए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रांतीय आह्वान पर शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भोलाराम शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से अपर कलेक्टर देवकीनंदन सिंह को सौंपा गया।

इस दौरान शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सहित पूरे देश में लाखों शिक्षकों की नियुक्तियाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के लागू होने से पहले हुई थीं। ये नियुक्तियां तत्कालीन राज्य सरकारों की स्थापित नीतियों और चयन नियमावली के अंतर्गत की गई थीं। आरटीई अधिनियम के संशोधित भाग 2017 के तहत, कानून बनने से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य की जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि यह संभवत: पहला कानून होगा जो भूतकाल (पिछली तारीखों) से लागू किया जा रहा है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूरी तरह विपरीत है। वहीं जो शिक्षक पिछले 20 या उससे अधिक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस उम्र और सेवा के इस पड़ाव

पर उनसे उच्च मानक स्तर की परीक्षा की उम्मीद करना व्यावहारिक और उचित नहीं है। इस कानून के कारण देश के लाखों शिक्षकों के साथ-साथ अकेले मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों का भविष्य और सेवा प्रभावित हो रही है। इस अवसर पर संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से महामंत्री बलराम शर्मा, जिला सचिव मुकेश सोनी, उपाध्यक्ष जय सिंह अहिरवार, गोविंद सिंह कुशवाह, गुलाब सिंह दांगी, संदीप चौबे, साकेत पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

एक नज़र में
जनसुनवाई में आए 319 आवेदक

अशोकनगर। जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर द्वारा जिले के ग्रामीण एवं शहरी अंचलों से आए आवेदकों की समस्याओं को सुना एवं आवेदकों से प्राप्त आवेदनों का संबंधित अधिकारियों द्वारा समयबद्ध रूप से हर संभव निराकरण किये जाने के निर्देश दिए। इस दौरान 319 आवेदकों से विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन दिए।

मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

अशोकनगर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा 16 जून से 15 अगस्त तक के लिए मत्स्याखेट पर प्रतिबंध हेतु आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजननकाल की अवधि 16 जून से 15 अगस्त तक होने के कारण प्रदेश शासन द्वारा इस अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है।

सड़क दुर्घटना में वृद्ध की मौत के बाद बवाल

गुस्साए लोगों ने स्टोन क्रेशर पर किया हमला, दफ्तर सहित डंपरो में की तोड़फोड़

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लेतपुर ग्राम में एक भीषण सड़क हादसे के बाद भारी बवाल हो गया। डंपर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 60 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहां वृद्ध का पोता इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लेतपुर स्थित पीएस स्टोन क्रेशर पर धावा बोल दिया और दफ्तर सहित डंपरों में तोड़फोड़ कर दी।

जानकारी के अनुसार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार टेल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चला रहा लक्ष्यराज गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे से आक्रोशित लोगों की भीड़ लाठी-डंडों के साथ सीधे स्टोन क्रेशर प्लांट पर पहुंच गई। जहां क्रेशर पर मौजूद स्टाफ के साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने फिल्मी अंदाज में वहां खड़े

10 से अधिक डंपरों को स्टार्ट किया और उन्हें आपस में टकरा-टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही क्रेशर मशीन को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया।

ऑफिस में भी तोड़फोड़ः

क्रेशर संचालक के मुताबिक भीड़ ने ऑफिस में घुसकर कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान तोड़ डाला। आरोप है कि इस दौरान ऑफिस में रखे करीब ढाई से तीन लाख रुपये नगद भी गायब कर दिए गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है।

इनका कहना है।

लेटपुर में बाईक सवार दादा पोता की डंपर से टक्कर हो गई थी, जिसमें टेलसिंह सिख की मृत्यु हो गई, वहीं उनके पोते लक्ष्यराज को गंभीर चोटे आई है। क्रेशर प्लांट पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ हुई है, जिसके चलते पुलिस बल को तैनात किया गया है। फिलहाल तोड़फोड़ की शिकायत नहीं आई है।

मीना रघुवंशी,
थाना प्रभारी ईसागढ़।

चुनाव आयोग को RSS की ड्रेस पोस्ट करने पहुंचे NSUI कार्यकर्ता को पुलिस ने रोका

चुनाव आयोग पर लगाए पक्षपात के आरोप
मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्ती का विरोध

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद जिले में सियासी पारा गरमा हुआ है। जहां एक दिन पहले यूथ कांग्रेस द्वारा गांधी पार्क पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो वहीं मंगलवार को इसके विरोध में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्य डाकघर पहुंचकर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

इस दौरान NSUI जिलाध्यक्ष अभिजीत रघुवंशी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम प्रतीकात्मक रूप से आरएसएस की वेशभूषा डाक से भेजने पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की टीम और एजेंट की तरह काम कर रहा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन द्वेषपूर्ण भावना से रद्द किया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया, जो लोकतंत्र की हत्या है।

पुलिस ने बीच में ही रोकी स्पीड पोस्टः

डाकघर में जब कार्यकर्ता विरोध स्वरूप आरएसएस की ड्रेस को पार्सल कर मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजने की तैयारी में थे, तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्तैदी दिखाई। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राजनीति की इस स्पीड पोस्ट को बीच रास्ते में ही रोक लिया। कार्यकर्ता जिन कपड़ों को डाक विभाग के हवाले करना चाहते थे, वे आखिरकार पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए।

जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन

नवभारत शाढौरा। नगर परिषद क्षेत्र में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं और विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष अशोक माहौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि जिला उपाध्यक्ष सुधीर रघुवंशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। शिविर में राजस्व, नगर परिषद सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। जन कल्याणकारी शिविर में नगर पालिका- उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष अतुल रघुवंशी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संगीता अरविंद रघुवंशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एसडीएम - शुभ्रता त्रिपाठी, तहसीलदार आलोक श्रीवास्तव और नायब तहसीलदार कार्तिकेय मुदगिल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर के दौरान नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखीं। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने आवेदनों को सुना और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने तथा समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पार्षद राकेश रघुवंशी, हरिओम कुशवाह, रेखा नामदेव, नीतू शर्मा, सहादत इस्लाम खान, बीरन आदिवासी, नेता प्रतिपक्ष रवि मोहने, सीएमओ शमशाद पठान सहित नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी शिविर में उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता है।

जिले में पटवारियों की घर वापसी

पटवारियों के तबादलों की चर्चा चाय की दुकानों, दफ्तरों से लेकर सियासी गलियारों तक

जिले के प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम जनता की चाय की ढपलियों तक इन दिनों राजस्व विभाग के पटवारियों और कर्मचारियों की बैकडोर से हो रही घर वापसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। कुछ महीनों पहले तत्कालीन कलेक्टर द्वारा की गई एंटी-नेक्सस कार्रवाई पर अब पूरी तरह पानी फिरता नजर आ रहा है। सालों से एक ही जगह अंगद की तरह पैर जमाए बैठे दागी और जमे हुए चेहरे दोबारा अपने मनपसंद हल्कों में बहाल हो रहे हैं, जिसने प्रशासन की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दरअसल कुछ समय पूर्व तत्कालीन कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने सालों से एक ही तहसील में जमे पटवारियों का एक झटके में थोकबंद तबादला कर दिया था। लापरवाही और अनुशासनहीनता पर कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया था। इस कड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य भू-माफियाओं, रसूखदारों और भ्रष्ट कर्मचारियों के बीच बन चुके स्थानीय नेटवर्क (नेक्सस) को ध्वस्त कर पारदर्शिता लाना था।

नवभारत
अशोकनगर की बात
राजकुमार प्रजापति

यू-टर्नः नियमों को ताक पर रख ऐसे बदला परिदृश्य

जैसे ही जिले का प्रशासनिक मुखिया बदला, कड़े तेवर भी ढीले पड़ गए। जिन चेहरों को सुधार के नाम पर दूर भेजा गया था, वे अब रहस्यमयी तरीके से अपने पुराने ठिकानों पर लौट रहे हैं। राजनैतिक गलियारों में इसकी तीन मुख्य वजहें चर्चा में हैं। जिनमें पहली चर्चा है कि सालों से जमे कर्मचारियों के गहरे राजनैतिक संबंधों के आगे प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी अंदरूनी हलकों में चर्चा आम है कि इस पूरी घर वापसी के पीछे एक बड़ा लेन-देन और रसूख काम कर रहा है। वहीं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है इस यू टर्न को मानवीय दृष्टिकोण का बहाना बताया जा रहा है, जो नियमों को ठंडे बस्ते में डालकर चहेतों को उपकृत करने के लिए मानवीय आधार का सहारा लिया जा रहा है।

जिले की जनता के सवालः

इस प्रशासनिक यू-टर्न से नाराज जिले के जागरूक नागरिक अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि यदि कुछ महीने पहले की गई कार्रवाई कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सही थी, तो अब दागी चेहरों की वापसी क्यों? क्या वह कार्रवाई सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट थी या अब व्यवस्था अचानक पाक-साफ हो गई है?

निष्कर्षः

अशोकनगर का यह घटनाक्रम साफ करता है कि प्रशासनिक सुधार के बड़े-बड़े दावे अक्सर राजनैतिक दबाव और शॉर्टकट के आगे दम तोड़ देते हैं। इस सियासी चक्रव्यूह में ईमानदारी की साख दांव पर है और हमेशा की तरह फाइलों के चक्कर काटने के लिए सिर्फ आम जनता पिस रही है।

प्रशासनिक सुधार या सियासी चक्रव्यूह ?

विरोध

छात्र संगठन ने मांगों को लेकर जिला को सौंपा ज्ञापन

फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। शासकीय लॉ कॉलेज में जनभागीदारी समिति द्वारा विभिन्न मदों में की गई 6,962 की भारी फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (AIDSO) ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए संयुक्त कलेक्टर को जिलाधीश के नाम एक ज्ञापन सौंपा और बढ़ी हुई फीस को तत्काल वापस लेने की मांग की।

DSO नेहरू पीजी कॉलेज इकाई के सचिव शिशुपाल ने बताया कि वर्तमान में लॉ कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। सत्र 2023-24 में जहां कॉलेज की फीस 5,349 थी, वहीं सत्र 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12,311 कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि यह कदम पूरी तरह छात्र और शिक्षा विरोधी है। लॉ कॉलेज में

अधिकांश छात्र निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं, जिनके लिए इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ को उठाना असंभव है। इससे कई छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे।

निजीकरण और व्यापरीकरण का आरोपः

छात्रों ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार सर्वसुलभ शिक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों में फीस बढ़ाकर शिक्षा का निजीकरण और व्यापरीकरण किया जा रहा है। ज्ञापन में मुख्य रूप से जनभागीदारी समिति द्वारा की गई 6,962 की फीस वृद्धि तत्काल वापस करने, छात्रों से लिए जा रहे अतिरिक्त शुल्कों की जांच कर रोक लगाई जाने, जनभागीदारी फंड के उपयोग में पूरी पारदर्शिता लाने और कॉलेज में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ की स्थाई भर्ती की मांग की गई। वहीं संगठन द्वारा चेतावनी दी है कि यदि इस फीस वृद्धि को वापस नहीं लिया गया, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

खेल मैदान पर कब्जा कराने का आरोप

नवभारत न्यूज

शाढ़ौरा। तहसील अंतर्गत ग्राम मढ़ी कानूनगो में बच्चों के क्रिकेट खेल मैदान पर आरआई, पटवारी द्वारा फर्जी तरीके से राजनीतिक रसूख रखने वाले दबंग व्यक्ति का कब्जा कराने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। मंगलवार को शाढ़ौरा तहसीलदार को दिए आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम मढ़ी कानूनगो में क्रिकेट का खेल मैदान था, जिसे पटवारी आरआई द्वारा फर्जी तरीके से राजनीतिक रसूख रखने वाले दबंगों जिन्होंने अभी हाल ही में हमारे गांव की जमीन खरीदी है। उसे गलत तरीके से नाप कर कब्जा कर दिया। खेल मैदान के साथ-साथ गांव के अधिकांश व्यक्तियों को प्रभावित कर जमीन हड़पी जा रही है। जिससे सारा गांव परेशान है। ग्रामीणों ने गांव के खेल मैदान, शासकीय जमीन को खुर्द-बुर्द होने से बचाने की मांग की है।

संत प्रतिनिधि मंडल ने मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। राष्ट्रीय संत सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतगुरु आचार्य देवमुरारी बापू की अगुवाई में संतों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए 21 जून तक का समय मांगा गया है। इससे पूर्व 12 जून को आयोजित बैठक में संतों ने मध्य प्रदेश के संत-महंतों की सुरक्षा, गौ-हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने और गौ माता के संरक्षण को लेकर चिंता जताई थी। पूर्व में भी देवमुरारी बापू ने गौशालाओं की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई थी, जिस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश है।

आंदोलन और कुंभ बहिष्कार का अल्टीमेटमः

ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 21 जून तक मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय निर्धारित नहीं किया गया, तो देश के 25 राज्यों में फैले समिति के संत महामंडलेश्वर सरकार के खिलाफ हर जिले में जन आंदोलन चलाएंगे। साथ ही आगामी उज्जैन सिंहस्थ कुंभ का भी सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा।

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, अंतिम सांस तक रहेगा जेल में

नवभारत अशोकनगर। महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों पर अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला पुलिस और अभियोजन पक्ष को एक बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायालय ने थाना देहात के बहुचर्चित अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी दिनेश को दोषी पाते हुए उसे अंतिम सांस तक (शेष प्राकृतिक जीवन) आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सख्त सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में जिले में महिला अपराधों पर पुलिस सख्त है। वर्ष 2022 में थाना देहात क्षेत्र से एक 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण हुआ था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धारा 363 के तहत मामला (अपराध क्रमांक 484/2022) दर्ज किया और अथक प्रयास कर बालिका को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर प्रकरण में धारा 366-ए, 376(2)(एन), पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस द्वारा संकलित किए गए मजबूत वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को यह कठोर सजा दी। यह ऐतिहासिक निर्णय उन अपराधियों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।